

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2017

**विषय : उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन ।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने संबंधी राज्य सरकार के संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2- 2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16.12.2016 के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पेंशन संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 द्वारा 2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में तथा शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों/उनके आश्रितों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के नियमन के संबंध में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2- संकल्प दिनांक 16-12-2016 के प्रस्तर-(18) पर की गयी संस्तुति जो पेंशनरों द्वारा स्वेच्छा से विभिन्न कार्यों में अपनी सेवायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, पर पृथक से कार्यवाही कर आदेश जारी किये जायेंगे।

3- संकल्प दिनांक 16-12-2016 के क्रमांक (11), (12) तथा (14) के क्रम में निम्नानुसार आदेश निर्गत किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है -

- (1)- ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग अथवा किसी जांच समिति आदि में सेवाकाल में किये गये कार्यों के आधार पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है, को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके द्वारा धारित अंतिम पद एवं वेतनमान हेतु अनुमन्य दरों पर प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित पेंशनर द्वारा यात्रा भत्ता देयक उसी भाँति तैयार किया जायेगा जैसे सेवारत कार्मिकों द्वारा तैयार किया जाता है। यात्रा भत्ता देयक उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा जिसके माध्यम से साक्ष्य हेतु बुलाये जाने के आदेश पेंशनर को प्राप्त हुये हैं। यात्रा भत्ता देयक में पेंशनर द्वारा धारित अंतिम पद, वेतनमान एवं वेतन का अंकन यथास्थान किया जायेगा। कार्यालय के आहरण एवं विवरण अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता देयक की राशि आहरित कर पेंशनर के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी। साक्ष्य में बुलाये जाने संबंधी आदेश/सम्मन तथा सम्बन्धित न्यायालय/आयोग/जांच समिति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत साक्ष्य हेतु उपस्थित होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यात्रा भत्ता देयक के साथ संलग्न की जायेगी। यात्रा भत्ता देयक के ऊपरी भाग पर, पेंशनर के नाम के सम्मुख पी०पी०ओ० संख्या एवं बैंक खाता संख्या में जिसमें पेंशन की राशि का भुगतान कोषागार द्वारा दिया जाता है, का उल्लेख बैंक शाखा एवं आई०एफ०एस०सी० कोड पेंशन द्वारा अंकित किया जायेगा।

- (2)- सेवानिवृत्ति के समय निर्गत होने वाले पेंशन भुगतानादेश में अन्तिम धारित पदनाम, वेतनमान / पे-बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स में आहरित अन्तिम वेतन, अर्हकारी सेवा की अवधि का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाये।
- (3)- राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों (ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक निगमों/कंपनियों के पेंशनरों को छोड़कर) की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिये वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कोषागारों द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु पेंशनर से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (4)- कोषागारों द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर उसकी सूचना सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को भेजी जाये। कोषागारों में प्रयोग किये जाने वाले पेंशन भुगतान पैकेज में इस हेतु आवश्यक संशोधन करा दिया जाये ताकि पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी सूचना पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को भेजे जाने हेतु कम्प्यूटर से पत्र जनरेट हो सके।

भवदीय,  
अजय अग्रवाल  
सचिव ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-28-2017/3-333(1)/दस-2017-308/2016, तदिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।